फाइल सं. ए.12018/41/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का ओडिशा, में नर्सिंग अधिकारी, समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई आस्का ओडिशा, में नर्सिंग अधिकारी, समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 29/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.........., 2022

अधिसूचना

सा. का. नि....... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2001 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या जिनका लोप किया गया है का अधिक्रमण करते हुए एतदद्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में नर्सिंग अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।
2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स या वेतनमान- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क)जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या विवाह की संविदा की है या

(ख)जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान ।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. नर्सिंग अधिकारी ।	06*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय ।	स्तर-7, (44900-142400) रु. ।	लागू नहीं होता।	30 साल (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए	1. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में बी.एससी (ऑनर्स) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बी.एससी, नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग (ii) किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स अथवा नर्स एंड मिड-वाइफ (आरएन या आरएम) के रूप में पंजीकृत या 2. (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिड-वाइफ में डिप्लोमा या (ii) किसी भी राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स अथवा नर्स एंड मिड-वाइफ (आरएन या आरएम) के रूप में पंजीकृत

					विहित की गई है।)	(iii) ऊपर 2.(1) प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 50 बिस्तर वाले अस्पताल में एक साल का अनुभव नोट1: यदि उम्मीदवार अन्यथा सुपात्र है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, अनुभव के संबंध में लिखित रूप से अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। नोट 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित प्राधिकारी की जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती से नोट: 1 वर्ष या अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों के बीच से प्रतिनियुक्ति का आधार भरा जाएगा (क) नियमित आधार पर अनुरूप पद और (ख) स्तंभ (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता व अनुभव रखने वाले।	लागू नहीं होता।	विभागीय नियमितीकरण समिति(नियमित करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. उप महानिदेशक (कुष्ठ) - अध्यक्ष स्वा.सेवा महानिदेशालय 2. उप निदेशक(प्रशा. व सतर्कता) -सदस्य स्वा.सेवा महानिदेशालय 3. निदेशक केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का -सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा.सं. ए -12018/41/2018-कुष्ठ]

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार